


नाम न्यायालय
केस संख्या

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या
दिनांक आज्ञा या
कार्यवाही

10/12/21

पत्रावली आज्ञा पत्रासन हांती के संग अभियान
कैम्प कोर्ट काकासादेश मे पेश हुई। अपधीगवा
रूपना तलवी के बावजूद ली अनुपस्थित है
पार्सी के अधिवक्ता को सुना गया
पत्रावली का अवलोकन किया गया पार्सी
खिलाफत भूमि के रिकॉर्ड स्वातेदार काइतकार
है। निम्नानुसार प्रत्येक स्वातेदार को अपनी
भूमि की सुरक्षा हेतु किसी अन्य को पाबन्द
करने का अधिकार प्राप्त है। पार्सी
रिकॉर्ड स्वातेदार काइतकार होने से
सम्पूर्ण हित निहित है। इस प्रकार प्रथम
दृष्टयता केना सुकिया का सन्तुलन
अधुनीच शक्ति का सिद्धत पार्सी के
प्रसाभे समुची साधित होता है,
अतः पार्सी का प्रा. पत्र - स्थायी
निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर प्रथम
पत्रावली को इस न्यायलय का आदेश
दिनांक 12/11/13 को ता. फैसला बाद
स्वादि. किया जाकर पाबन्द किया जाता है
पत्रावली फैसला शुमार होकर अर्थात् नम्बर
सेक्य है होकर अथ तथा दारिखत पत्र
है।


10/12/21

